ACM आमेर प्र. ५५/२५

फर्द अहकाम

मंगला बनाम कौशल्या

नाम न्यायालय SDO

केस संख्या 34/25

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	31/10/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। प्रतिवादी अनुपस्थित है आ.ता. पेशी पर आपत्ति कुर्रेनात पर बहस नहीं करने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावेगा। वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते बहस आपत्ति दिनांक 5/11/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	5/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। पूर्व में गुणावगुण हेतु आदेशित किया गया था। वादी की बहस सुनी जा चुकी है वास्ते आदेश दिनांक 6/11/2025 को पेश हो। [signature]
	6/11/25	पत्रावली प्रस्तुत। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वाद वादी तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेनात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली बाद तकमील डिक्री होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

तहरीरजारी 1475 7/11/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:09:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 34/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक – 18.03.2025

मंगलाराम पुत्र पेमाराम जाति बलाई निवासी ग्राम सिरसी तहसील जालसू जिला जयपुर।

......वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र रामदेव
2. जगदीश पुत्र हनुमान
3. पप्पू पुत्र पूरा
   समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम सिरसी तहसील जालसू जिला जयपुर।
4. रमसीलाल पुत्र कजोडमल जाति बलाई निवासी ग्राम धावास तहसील व जिला जयपुर।
5 राजू पुत्र पूरा
6. लक्ष्मण पुत्र हनुमान
7. श्योपाल पुत्र भूरा
8. हरिनारायण पुत्र भैरूराम (फौत)
8/1. सुरेश पुत्र हरिनारायण
8/2. संतोष पुत्र हरिनारायण
8/3. सुखदेव पुत्र हरिनारायण
   समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम सिरसी तहसील जालसू जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू जिला जयपुर।
10. उप पंजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।

......प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 06.11.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम सिरसी, पटवार क्षेत्र राधाकिशनपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 124 पुराना 118 के खसरा नम्बर 180 रकबा 5.1800 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा [illegible] है तथा शेष हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार प्रतिवादीगण के नाम दर्ज व अंकित चला आ रहा हैं। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् [illegible]–2076 में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज है और राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज काश्त निरन्तर चलें आ रहें है और अपने–अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करतें आ रहें हैं तथा वादी उक्त भूमि खसरा नम्बर 180 के उत्तरी दिशा में काबिज काश्त हैं। जिस पर वादी को अपने रिहायश हेतु

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:09:52 IST
Reason: SelfAttested

पुख्ता मकानात बनाकर निवास करता चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं। एतपश्चात वाद पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित सम्पूर्ण खसरान् की भूमि को "विवादित भूमि" शब्द से संबोधित किया जा रहा हैं। अब प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ गई है और वे विवादित भूमि का बिना विधिक विभाजन करवाये बिना ही संयुक्त खातेदारी की विवादित भूमि के विशेष भू–भाग पर कब्जा करके पुख्ता पक्का निर्माण करने, विशेष भू–भाग को विक्रय–हस्तान्तरण इत्यादि करने की अनुचित व विधि विरूद्ध मंशा रखने लग गये और मौके पर भू–माफिया गिरोह के व्यक्तियों को लाकर विवादित भूमि के विशेष भू–भाग की ओर ईशारा करते हुए भूमि विक्रय करने की वार्तालाप करते हैं। जबकि उनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं हैं। चूँकि दिनॉक 20–10–2024 को वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः विधिवत बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किया जावे। अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किया जावें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, ता 8/3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध दिनांक 22.05.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई तथा वादी का वाद बाई मीटस एंड बाउंड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार जालसू जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके राजस्व ग्राम सिरसी, पटवार क्षेत्र राधाकिशनपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 180 रकबा 5.1800 हैक्टेयर भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/2625 दिनांक 10.07.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या [illegible] दिनांक 25.07.2025 को मुंतकिल प्रार्थना पत्र आदेश जिला कलक्टर जयपुर पेश [illegible] तथा वादी अधिवक्ता ने दिनांक 30.10.2025 को जारी आदेश जिला कलक्टर जयपुर पेश किया। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के द्वारा मुंतकिल प्रार्थना संख्या [illegible] दिनांक 09.10.2025 को खारिज किया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:09:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

उभयपक्ष को बहस हेतू अवसर दिया गया। वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस की परन्तु प्रतिवादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। अवसर प्रतिवादी दिया गया

परन्तु प्रतिवादी एवं उनके अधिववक्ता अनुपस्थित है अतः एकपक्षीय बहस एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है।

वादी ने कुर्रेजात के आधार पर वाद डिकी किये जाने हेतू निवेदन किया। प्रस्तुत तर्कों के आधार पर वाद तदनुसार तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :—

1. मंगलाराम पुत्र पेमाराम हि. पूर्ण जाति बलाई, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 180/2 रकबा 3.4167 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. कैलाश पुत्र रामदेव हि. 1/12, जगदीश पुत्र हनुमान 1/24, धापू देवी पत्नी पूरा 1/84, पप्पू पुत्र पूरा 1/84, मंगलाराम पुत्र पेमाराम 2/3, रमसीलाल पुत्र कजोडमल 1/28, राजू पुत्र पूरा 1/84, लक्ष्मण पुत्र हनुमान 1/24, श्योलाल पुत्र भूरा 1/84, हरिनारायण पुत्र भैरूराम 1/12 जाति बलाई, सा. देह खातेदार शेष इंद्राज जमाबंदी बदस्तुर के हिस्से खसरा नंबर 180/1 रकबा 0.0550 हैक्टेयर भूमि रहेगीं।
3. कैलाश पुत्र रामदेव हि. 4272/17083, जगदीश पुत्र हनुमान 2135/17083, धापू देवी पत्नी पूरा 610/17083, पप्पू पुत्र पूरा 610/17083, रमसीलाल पुत्र कजोडमल 183017083, श्योपाल पुत्र भूरा 610/17083, हरिनारायण पुत्र भैरूराम 4271/17083 जाति बलाई सा. देह खातेदार शेष इंद्राज जमाबंदी बदस्तुर के हिस्से खसरा नंबर 180/3 रकबा 1.7083 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:09:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 34/2025
बउनवानी – मंगलाराम बनाम कैलाश वगै0
निर्णय दिनांक :– 06.11.2025

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या – 34/2025

वाद प्रस्तुति दिनांक – 18.03.2025

मंगलाराम पुत्र पेमाराम जाति बलाई निवासी ग्राम सिरसी तहसील जालसू जिला जयपुर।

.......वादी

बनाम

2. कैलाश पुत्र रामदेव
2. जगदीश पुत्र हनुमान
3. पप्पू पुत्र पूरा
समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम सिरसी तहसील जालसू जिला जयपुर।
4. रमसीलाल पुत्र कजोडमल जाति बलाई निवासी ग्राम धावास तहसील व जिला जयपुर।
5 राजू पुत्र पूरा
6. लक्ष्मण पुत्र हनुमान
7. श्योपाल पुत्र भूरा
8. हरिनारायण पुत्र भैरूराम (फौत)
8/1. सुरेश पुत्र हरिनारायण
8/2. संतोष पुत्र हरिनारायण
8/3. सुखदेव पुत्र हरिनारायण
समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम सिरसी तहसील जालसू जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू जिला जयपुर।
10. उप पंजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।

......प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. मंगलाराम पुत्र पेमाराम हि. पूर्ण जाति बलाई, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 180/2 रकबा 3.4167 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. कैलाश पुत्र रामदेव हि. 1/12, जगदीश पुत्र हनुमान 1/[illegible], धापू देवी पत्नी पूरा 1/84, पप्पू पुत्र पूरा 1/84, मंगलाराम पुत्र पेमाराम 2/[illegible] रमसीलाल पुत्र कजोडमल 1/28, राजू पुत्र पूरा 1/84, लक्ष्मण पुत्र हनुमान 1/84, श्योपाल पुत्र भूरा 1/84, हरिनारायण पुत्र भैरूराम 1/12 जाति बलाई, सा. देह खातेदार शेष इंद्राज जमाबंदी बदस्तुर के हिस्से खसरा नंबर 180/1 रकबा 0.0550 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

3. कैलाश पुत्र रामदेव हि. 4272/17083, जगदीश पुत्र हनुमान 2135/17083, धापू देवी पत्नी पूरा 610/17083, पप्पू पुत्र पूरा 610/17083, रमसीलाल पुत्र कजोडमल 183017083, श्योपाल पुत्र भूरा 610/17083, हरिनारायण पुत्र भैरूराम 4271/17083 जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:09:52 IST
Reason: SelfAttested

बलाई सा. देह खातेदार शेष इंद्राज जमाबंदी बदस्तुर के हिस्से खसरा नंबर 180 / 3 रकबा 1.7083 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 06.11.2025 को जारी किया।

दस्तखत——
ओहदा——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:09:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु.जयपुर के वाद संख्या 34/2025 उनवान मंगलाराम v/s कैलाश 22.05.25

...तहसील में ग्राम सिरसी आराजी खसरा न. 180 — कुल किता-01 रकबा 5.18 हे. पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने में निर्णय व डिक्री दिनांक की

...तहसील में आज दिनांक 02/07/25 को बहमराह उपतहसीलदार ~~जालसू~~ कुण्डोता भू.अ.नि. वृत RKP प.ह. RKP के साथ मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थति में निम्न प्रकार कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु नोटिस दिनांक 25-06-25 की ...

...की गयी :-

जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि					कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
जमाबंदी अनुसार वर्तमान खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान	क्र. स.	प्रस्तावित प्रविष्टि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
कैलाश पुत्र रामदेव हि.1/12, जगदीश पुत्र हनुमान हि.1/24, धापूदेवी पत्नि भूरा हि.1/84, पप्पू पुत्र भूरा हि.1/84, मंगलाराम पुत्र पेमाराम हि.2/3, रमसीलाल पुत्र कजोड़मल हि.1/28, राजू पुत्र भूरा हि.1/84, लक्ष्मण पुत्र हनुमान हि.1/24, रमोपाल पुत्र भूरा हि.1/84, हरिनारायण पुत्र भैरुराम हि.1/12 जाति खलाई सा.देह खातेदार शेष इन्द्राज जमाबंदी बदस्तूर	180 01	5.18 5.18			1	मंगलाराम पुत्र पेमाराम हि पूर्ण जाति खलाई सा.देह खातेदार शेष इन्द्राज जमाबंदी बदस्तूर	180/2 01	3.4167 3.[illegible]		
					2.	कैलाश पुत्र रामदेव हि.1/12, जगदीश पुत्र हनुमान 1/24, धापूदेवी पत्नि भूरा 1/84, पप्पू पुत्र भूरा 1/84, मंगलाराम पुत्र पेमाराम 2/3, रमसीलाल पुत्र कजोड़मल 1/28, राजू पुत्र भूरा 1/84, लक्ष्मण पुत्र हनुमान 1/24, रमोपाल पुत्र भूरा 1/84, हरिनारायण पुत्र भैरुराम 1/12 जाति खलाई सा.देह खातेदार शेष इन्द्राज जमाबंदी बदस्तूर	180/[illegible] 01	[illegible] .0550		

मंगलाराम

[signature] प.राज्य/किशनपुरा

[signature] 02/07/2025 ILR RKP

[signature] 02/7/25

उप तहसीलदार कुण्डोता तह.-आमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:09:52 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि					कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
अनुसार वर्तमान खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान	क्र. सं.	प्रस्तावित प्रविष्टि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
					02	कैलाश पुत्र रामदेव हि $\frac{4272}{17083}$ जगदीश पुत्र हनुमान $\frac{2135}{17083}$ भूरी देवी पत्नि पुरा $\frac{610}{17083}$ पप्पू पुत्र पुरा $\frac{610}{17083}$ रमसीलाल पुत्र कजोड़मल $\frac{1830}{17083}$ राजु पुत्र पुरा $\frac{610}{17083}$ लक्ष्मण पुत्र हनुमान $\frac{2135}{17083}$ श्योपाल पुत्र भूरा $\frac{610}{17083}$ हरिनारायण पुत्र भैरूराम $\frac{4271}{17083}$ जाति बलाई सा. देह खातेदार शेष इन्द्राज जमाबंदी बदस्तूर	180 3 01	1.7083 — 1.7083		

पटवारी हल्का

02/07/2025
RI RRP

02/7/25

उप तहसीलदार
मुण्डोता तह.- जालसू

02/7/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:09:52 IST
Reason: SelfAttested

मौजा- राजाकिशनपुरा
आबादी

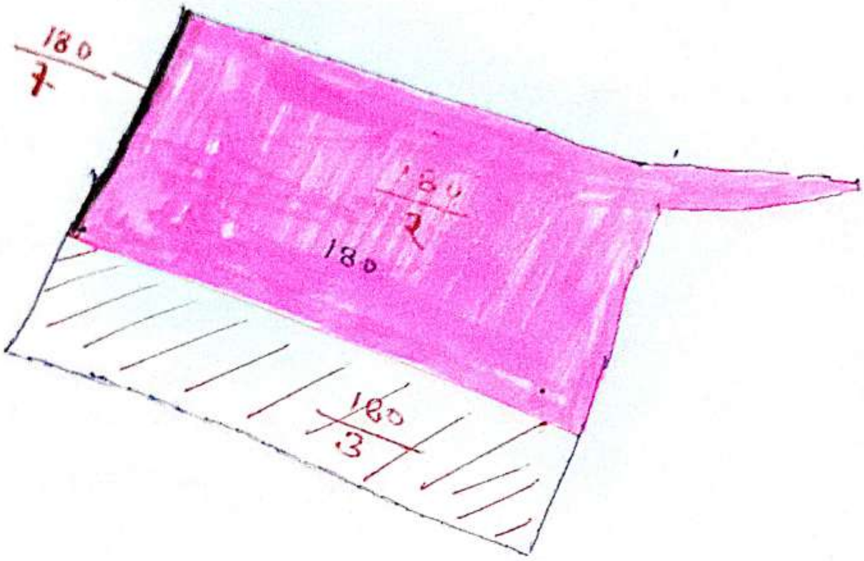

- मांगलाराम
- शामलाती
- कैलाश वगैरह

मांगलाराम

02/07/2025
RKP

02/7/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:09:52 IST
Reason: SelfAttested

उप तहसीलदार
मुण्डोता तह.- आमेर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 1475 दिनांक : 07/11/25

तहसीलदार
तहसील जालसू,
जयपुर।

विषय :–न्यायालय के प्रकरण संख्या 34 / 2025 उनवान मंगला बनाम कैलाश वगै0 में निर्णय व डिक्री दिनांक 06.11.2025 की पालना बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वादपत्र संख्या 34 / 2025 उनवान मंगला बनाम कैलाश वगै0 में निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 06.11.2025 की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2025 की पालना अपील अवधि **(30 दिवस)** के पश्चात् यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो आप नियमानुसार निर्णय एवं डिक्री की पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवायें।

संलग्नः–प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय व डिक्री दिनांक 06.11.2025

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:09:52 IST
Reason: SelfAttested